



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-15092025-266166
CG-WB-E-15092025-266166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4050]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 4050]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 15 सितम्बर, 2025

का.आ. 4165(अ).—पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड-3 (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त एतद्वारा अन्तिम रूप से 580 ग्राम 'टाइप-ए' एवं 'टाइप-बी' के जूट बोरे की अधिकतम एक्स फैक्टरी मूल्य निर्धारित करता हूं - जो नियमानुसार है:-

विवरण	बारदाना का प्रकार	मूल्य / एमटी	मूल्य प्रति 100 बारदाने
बी-टवील सैकिंग (580 ग्राम) (बिना लिंकेज के)	टाइप ए	रु 128600.00	रु 7458.81
	टाइप बी	रु 128600.00	रु 7458.41

2. मौजूदा आदेशों/अनुदेशों के अनुसार ए तथा बी प्रकार के बोरे, जिनका आकार 94 सेमीx 57 सेमी/एचडी, द्रव्यमान प्रति बोरे 580 ग्राम हो, अंतिम सिरे प्रति डी.एम. तथा पैक्स प्रति डी.एम. जैसा कि भा.मा. ब्यूरो के विनिर्देशन संख्या भा.मा.16186:2014 के साथ अतिरिक्त पहचान चिह्न के अनुरूप हो, को सितंबर, 2025 माह के दौरान और उसके बाद या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, खरीदा या बेचा जाएगा।

3. प्रत्येक बोरे पर पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता द्वारा जारी पीसीएसओ में मुद्रित/चिह्नित विनिर्दिष्ट प्रतीक के साथ विनिर्माता मिल का मुद्रित नाम के साथ भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न होगा। औसत न्यूनतम भंजन क्षमता (Breaking Strength) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दी गई उपर्युक्त दरों के अनुसार होगी।

4. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जीएसटी शामिल नहीं हैं जिसका खरीददार द्वारा एक्स फैक्टरी मूल्य के अलावा अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(25)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Kolkata, the 15th September, 2025

S.O. 4165(E).— In exercise of the powers conferred by Clause-3(6) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, **I, Moloy Chandan Chakraborty**, Jute Commissioner, hereby FINALLY fix the maximum ex-factory price for the 580gm 'Type-A & 'Type-B' Jute Bags which are as follows:

Description	Bag Type	Price/MT	Price per 100 bags
B-Twill Sacking (580 gms) (Without Linkage)	Type A	Rs. 128600.00	Rs. 7458.81
	Type B	Rs. 128600.00	Rs. 7458.81

2. Type A & Type B bags of the size 94cm x 57 cm/HD., 580 gm mass per bags, ends per dim, pecks per dm., as specified in the BIS Specification IS: 16186:2014 respectively with additional identification marking as per extant orders/instructions, shall be purchased or sold during the month of **September, 2025 and thereafter or until further orders, whichever is earlier.**

3. Every bag is to be printed/marked with emblem to specified in the PCSO issued by the O/o Jute Commissioner, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall be as provided in the aforesaid specification of BIS.

4. The price fixed under this Notification shall be exclusive of GST which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(25)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner